संख्या-07/2021/92/12-5-2021-ब-1/2021

प्रेषक,

विद्याशंकर सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश, कृषि भवन,
लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 लखनऊ:: दिनांक: 16 फरवरी, 2021

विषय:-वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 001-निदेशन तथा प्रशासन, 03 कृषि निदेशालय का सामान्य अधिष्ठान योजना हेतु पुनर्विनियोग की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-बी०ए०/800/पुनर्विनियोग/2020-21, दिनांक 18.01.2021 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 001-निदेशन तथा प्रशासन, 03 कृषि निदेशालय का सामान्य अधिष्ठान के मानक मद 49- चिकित्सा व्यय रू० 15.52 लाख (रू० पंद्रह लाख बावन हजार मात्र) की धनराशि विभागीय बचतों से संलग्न प्रपत्र बी०एम०-9 (भाग-1) के अनुसार पुनर्विनियोग किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त जारी स्वीकृति के सापेक्ष एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय बल्कि आवश्यकतानुसार धनराशि को कोषागार से आहरित की जाए।

3- पुनर्विनियोग की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

4- जिस मद में बचत बतायी गयी है चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में उस मानक मद में धनराशि की मांग नहीं की जायेगी तथा न ही देयता सृजित की जायेगी।

5- जिस मद में धनराशि का पुनर्विनियोग किया जा रहा है, धनराशि का व्यय उन्ही मदों में किया जायेगा। इससे इतर मद में धनराशि का व्यय अनुमन्य नहीं होगा।

6- पुनर्विनियोग की जा रही धनराशि में आंकड़ों की शुद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

7- उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 001-निदेशन तथा प्रशासन, 03 कृषि निदेशालय का सामान्य अधिष्ठान के मानक मद 03-मंहगाई भत्ता में होने वाली बचत को पुनर्विनियोग करते हुए लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 001-निदेशन तथा प्रशासन, 03 कृषि निदेशालय का सामान्य अधिष्ठान के मानक मद 49- चिकित्सा व्यय के नामे डाला जायेगा।

8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। यह आदेश उक्त शासनादेशों में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किया जा रहा है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

विद्याशंकर सिंह
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या- 07/2021/92(1)/12-5-2021, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्न की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट)- प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
6. समस्त जनपदीय कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. सहायक निदेशक (कम्प्यूटर एवं समन्वय) कृषि भवन, लखनऊ।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1 नियोजन अनुभाग-3
9. गार्ड फाइल।

संलग्नक-यथोक्त।

आज्ञा से,

वीरेन्द्र कुमार
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रपत्र–बी(एम)–03 (भाग–1)
पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति
(सेवार्थ : सेक्टर मैनुअल का चैप्टर–15B)
(इस प्रपत्र को भरने से पूर्व पीछे दिये अनुदेशों को भली भाँति देख लिया जाय)

अनुदान संख्या व नाम–11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) वित्तीय वर्ष 2020-2021
प्रपत्र बी(एम)–03

(धनराशि लाख रू0 में)

जिनसे पुनर्विनियोग किया जाना है (8 डिजिट कोड में)	चालू वित्तीय वर्ष के लिए स्वीकृत अनुदान/विनियोग	3 दिसम्बर तक दिये गये व्ययभार के लिए संशोधित अनुमान	संशोधित की जाने वाली धनराशि	पिछले विभाग द्वारा राजकोष हेतु अनुमोदित धनराशि	संशोधन के पश्चात् शेष अनुदान/विनियोग (2–3)
1	2	3	4	5	6
2401 00 001 03 00 2401–फसल. कृषि अनु. 001–निदेशन तथा प्रशासन. 03–कृषि निदेशालय का सम्पादन [illegible] 02–मशीनरी व उपकरण	1118.97	15.52	15.52	15.52	1103.45
योग	1118.97	15.52	15.52	15.52	1103.45

जिनमें पुनर्विनियोग किया जाना है (8 डिजिट कोड में)	चालू वित्तीय वर्ष के लिए स्वीकृत अनुदान/विनियोग	3 दिसम्बर तक दिये गये व्ययभार	संशोधित की जाने वाली धनराशि (5 से)	पिछले विभाग द्वारा राजकोष हेतु अनुमोदित संशोधन की धनराशि	संशोधन के पश्चात् संशोधित अनुदान/विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
2401 00 001 03 00 2401–फसल कृषि अनु 001–निदेशन तथा प्रशासन, 03 कृषि निदेशालय का सम्पादन [illegible] 40–वेतनेत्तर व्यय	100.00	115.52	15.52	15.52	115.52
योग	100.00	115.52	15.52	15.52	115.52

(रू0 पंद्रह लाख बावन हजार मात्र)

1 स्तम्भ 3 में उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ–4 में अंकित धनराशि निम्नलिखित कारणों से है–
अ–वास्तविक मॉग के आधार पर धनराशि है

2–स्तम्भ–6 में दर्शित धनराशि अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ–5 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है–
अ कृषि निदेशालय में कार्यरत कार्मिकों के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु आवश्यकता है

3–प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश वित्त नियमावली के प्रस्तर संख्या–15C से 15F में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है

संख्या: आ0एवं0 327/दस-2021, दिनांक 29/01/2021
सेवा में,
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

(हरेन्द्र कुमार)
अनु सचिव (वृषि)
उत्तर प्रदेश शासन

(पुनीता नन्दा, पी.सी.एस.)
अनुभाग अधिकारी
वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या– /12–5–2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
2– महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज
3– महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज
4– वित्त नियन्त्रक, कृषि निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5– मुख्य कोषाधिकारी, उपकोष भवन, लखनऊ/समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
6 वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 (सी0एम0–9 लोन प्रतियों में)।
7– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–1
8– गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(वीरेन्द्र कुमार)
अपर सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।